न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-306RAAJodhpur2024-124RTA225 Ramswarup Vs Tulsiram etc

01. रामस्वरूप गोधा पुत्र कालूराम जी, जाति मेघवाल, निवासी- ग्राम बोरानाडा, तहसील झंवर, जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. तुलसीराम पुत्र श्री पोकरराम जी
2. मीरा देवी पत्नी तुलसीराम जी
3. निम्बूराम पुत्र राणाराम
   सभी जातियान् मेघवाल, निवासीगण- ग्राम पाल तहसील व जिला जोधपुर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार झंवर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ आदेश दिनांक 24 जुलाई 2024 सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 45/2020 तुलसीराम व अन्य बनाम रामस्वरूप इत्यादि

उपस्थित-

श्री हनुमान प्रजापति, अधिवक्ता-अपीलाण्ट

श्री नथाराम चौधरी, अधिवक्ता-रेस्पो. संख्या एक से तीन

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पो. संख्या चार

नि र्ण य

दिनांक : 17 अक्टूबर 2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 45/2020 अनवान तुलसीराम व अन्य बनाम रामस्वरूप गोधा इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 जुलाई 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के तहत दिनांक 08 अगस्त 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर अपने खातेदारी खेत खसरा नं. 35, 35/1 एवं 35/2 ग्राम नारनाडी तहसील झंवर में आने-जाने हेतु अपीलांट/अप्रार्थी के खातेदारी खसरा नं. 33 में से रास्ता चाहा। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24 जुलाई 2024 के जरिये प्रार्थीगण/रेस्पोडेंट संख्या एक से तीन का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया गया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में एक काश्तकार को अपनी काश्त तक पंहुचने हेतु दूसरे काश्तकार की काश्त में सें निकटतम एवं लघुतम रास्ता दिये जाने का प्रावधान है। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपनी काश्त हेतु रास्ते की मांग न कर मौके पर बसी आस्था पूरण नगर रहवासीय कॉलोनी में आवागमन हेतु रास्ता चाहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण/रेस्पो. का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत होने से कानूनन चलने योग्य नहीं है। अपीलांट द्वारा उक्त तथ्य को विचारण न्यायालय के समक्ष उठाया था, किंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कन्सीडर किये बिना तथा उन पर गौर किये बगैर अपीलाधीन रास्ते का आदेश पारित कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं. 35, 35/1 एवं 35/2 में रास्ते की मांग की तथा उक्त भूमि में रास्ता नहीं होने का कथन किया, जबकि अप्रार्थी द्वारा राजस्व नक्शा, दस्तावेजात एवं जवाब पेश कर खसरा नं. 35 के चिपते खसरा नं. 34 जो कि गैर मुमकिन सड़क होने का कथन किया, जिससे प्रथम दृष्टया स्पष्ट है कि प्रार्थीगण की भूमि सड़क पर स्थित है, जिसके लिए नवीन रास्ते की आवश्यकता नहीं है और न ही कानूनी तौर पर खसरा नं. 33 में से रास्ते की मांग कर सकता था, परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त बिंदु पर गौर कियेबिना तथा विश्लेषण किये बगैर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो अपास्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने तथाकथित रिपोर्ट दिनांक 07.03.2024 के आधार पर तहसीलदार लूणी की अनुशंषा को आधार बना कर बहस समायत करने का उल्लेख किया तथा बाद में मौका फर्द दिनांक 15.11.2022 के आधार पर रास्ता उपलब्ध करवाया जाना न्यायोचित समझा एवं उक्त फर्द को आदेश का भाग समझा, जबकि फर्द दिनांक 07.03.2024 पर किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की और न ही ऐसी कोई फर्द मौके पर बनाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन रास्ता अपीलांट की खातेदारी भूमि के बीच में से प्रदान किया है, जिससे अपीलांट का खेत दो भागों में विभक्त हो जायेगा, जबकि प्रार्थीगण के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 45/2020 अनवान तुलसीराम व अन्य बनाम रामस्वरूप गोधा इत्यादि में पारित

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

आदेश दिनांक 24 जुलाई 2024 को खारिज फरमाया एवं रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए को खारिज फरमाया जावे।

जबाब में अधिवक्ता रेस्पो. सख्या एक ने अपीलाधीन आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया अपीलांट के आवागमन हेतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारान् को कम नुकसान हो इस हेतु प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर विधिसम्मत रास्ता दिया है। अपीलाधीन रास्ता मौके पर चालू है तथा मौके पर ग्रेवल सड़क बनी हुई है, किंतु राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं है। अपीलांट द्वारा भी उक्त तथ्य का खण्डन नही किया गया है कि रेस्पो. के आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु अपीलाधीन रास्ता ही निकटतम एवं लघुतम रास्ता है। रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलाधीन आदेश की पालना में प्रतिकर राशि तहसीलदार कार्यालय में जमा करवायी जा चुकी है तथा रास्ते बाबत नामांतरकरण भी खुल चुका है। यह भी उल्लेखनीय है कि रेस्पोडेंट्स की भूमि आज की तारीख में रहवासीय भूमि न होकर राजस्व रेकर्ड में खातेदारी भूमि दर्ज है। अपीलाधीन रास्ता मौके पर अन्य 40 खेतो से जुड़ता है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। वकील अपीलांट उज्र है कि रेस्पोडेंट्स की भूमि खसरा नं. 35, 35/1 एवं 35/2 के चिपते ही खसरा नं. 34 गैर मुमकिन सड़क स्थित है तथा रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है। अपीलांट के उक्त उज्र के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख मौका फर्द दिनांक 25.02.2020 के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अवलोकन से स्पष्ट है कि रेस्पोंड्स के खातेदारी खसरा नं. 35, 35/1 एवं 35/2 के उतर दिशा में खसरा नं. 34 रकबा 0.02 बीघा गैर मुमकिन सड़क स्थित होना बताया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा उक्त विकल्प पर गौर किया जाना नहीं पाया जाता है। मौका रिपोर्ट में उक्त सड़क के आगे अन्य रास्ते से जुड़ाव के बारे में स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है।

जहां तक अपीलांट का उज्र है कि रेस्पोडेंट्स की खातेदारी भूमि कृषि भूमि न मौके पर रहवासीय कॉलोनी बनी हुई है। इस संबंध में राजस्व अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान में उक्त भूमि कृषि भूमि दर्ज है तथा भूमि की किस्म बारानी-1 दर्ज है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र मानने योग्य नहीं है।

उपलब्ध अभिलेख मुताबिक मौका फर्द दिनांक 25.02.2020 पर अपीलांट की ओर से आपत्ति प्रस्तुत किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 16.03.2021 के जरिये उभय पक्ष की उपस्थिति में मौका फर्द तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये। जिसकी पालना किये बिना मौका फर्द दिनांक 15.11.2022 अपीलांट की अनुपस्थिति में तैयार किया जाना पाया जाता है तथा मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों पर गौर नहीं किया गया है। यह भी उल्लेखनीय है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रदत रास्ते से अपीलांट की भूमि खसरा नं. 33 दो भागो में विभाजित हो चुकी है जो धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के अनुरूप नहीं है। इन परिस्थितियों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश विधिसम्मत नहीं होने से समर्थन योग्य नहीं ठहरता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लूणी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

45/2020 अनवान तुलसीराम व अन्य बनाम रामस्वरूप गोध इत्यादि में पारित आदेश दिनांक 24 जुलाई 2024 को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रकरण प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह रेस्पोडेंट्स के आवागमन हेतु मौके पर उपलब्ध रास्ते के सभी विकल्पों की दूरी सहित उभय पक्ष की उपस्थिति में जांच कर तथा उस पर विस्तृत मौका रिपोर्ट तलब करे तथा निकटतम रास्ते का चयन करते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251-ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का युक्तियुक्त अवधि में विधिसम्मत निस्तारण करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर